प्रेषक,

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन नैनीताल रोड,
हल्द्वानी।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
पटेल नगर, देहरादून।

संख्याः 1417 /EODB/2019 दिनांक : 04 फरवरी जनवरी, 2019

विषयः **उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के संबंध में DIPP द्वारा प्राप्त निर्देशों के विषय में ।**

महोदय,

अवगत कराना है कि Department of the Industries Policy and Promotion (DIPP) द्वारा चलाये जा रहे Ease of Doing Business Programme के तहत वर्ष 2019 हेतु घोषित Business Reform Action Plan में दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:

बिन्दु 40(i) – Eliminate the requirement of Inspection prior to registration.
बिन्दु 40(ii) – Ensure that the final registration is granted within one day from the date of application.
बिन्दु 42 – Eliminate the requirement of Renewal of registration.

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य में नया दुकान एवं वाणिज्यक अधिष्ठान अधिनियम, (2017) प्रवृत्त हो गया है। उक्त अधिनियम में पंजीकरण के पूर्व निरीक्षण किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, अतः बिन्दु संख्या 40(i) पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 42 में भी किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नये दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 2017 में दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण किये जाने संबंधी कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है।

बिन्दु 40(ii) – Ensure that the final registration is granted within one day from the date of application के अनुपालन में आवश्यक अनुमति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

कृपया तदनुसार सूचित होने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

Scanned by CamScanner